



चक्रीय अर्थव्यवस्था से ग्रामीण समृद्धि

डॉ. तनु कथूरिया

चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत आजीविका में सुधार, अपशिष्ट में कमी और प्राकृतिक संसाधनों की बहाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास की एक प्रभावी राह प्रदान करते हैं। कृषि, पशुपालन, जैव संसाधनों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से गहरे जुड़ाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय बदलाव की व्यापक संभावनाएँ हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ उस पारम्परिक रैखिक मॉडल से आगे बढ़ सकती हैं, जिसमें संसाधनों का उपयोग करने के बाद उन्हें अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया जाता है और ऐसी व्यवस्थाएँ अपना सकती हैं, जिनमें संसाधनों की खपत कम हो, वस्तुओं का दोबारा उपयोग किया जाए, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण हो और पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से समृद्ध किया जाए।

च

चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जिसमें संसाधनों के दोहन और अपशिष्ट को कम करते हुए सामग्रियों, उत्पादों और जैविक पोषक तत्वों को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखा जाता है। इसके लिए संसाधनों की खपत कम करने, पुनः उपयोग, मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुनर्जनन पर बल दिया जाता है। उपभोग और निपटान के पारम्परिक रैखिक मॉडल के विपरीत, यह अपशिष्ट को एक संभावित संसाधन के रूप में देखती है और पारिस्थितिक तंत्रों को पुनः बहाल करने का प्रयास करती है। यह व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे खाद्य पदार्थ, कच्चा माल और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी सेवाएँ

उपलब्ध कराती हैं, लेकिन अक्सर संसाधनों के क्षरण, मौसमी बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। इसलिए व्यापक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है।

स्थानीय स्तर पर संसाधनों का चक्र विकसित करके ग्रामीण समुदाय कृषि अवशेषों और अन्य जैविक अपशिष्टों को उपयोगी संसाधनों में बदल सकते हैं। इससे बाहरी आदानों पर निर्भरता कम होती है और साथ ही आय तथा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ऐसी व्यवस्थाएँ अपशिष्ट के संचय और उससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को भी कम कर सकती हैं, जिसमें फसल अवशेष जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण भी शामिल है। यह शोधपत्र ग्रामीण विकास में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के

लेखिका एक प्राइवेट फर्म में सीनियर एसोसिएट हैं। ई-मेल: kathuriatanu@gmail.com



उपयोग, उनके संभावित लाभों, इन्हें अपनाने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और इनके व्यापक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का अध्ययन करता है।

ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था की वैचारिक रूपरेखा

रैखिक अर्थव्यवस्था से चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना इस बात में मूलभूत बदलाव को दर्शाता है कि आर्थिक मूल्य किस प्रकार सृजित किया जाता है और संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। रैखिक मॉडल एक सीधी प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिसमें कच्चे माल का दोहन किया जाता है, उसे उत्पादों में बदला जाता है, उनका उपभोग किया जाता है और अंततः उन्हें अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया जाता है। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और पर्यावरण में अपशिष्ट को समाहित करने की असीम क्षमता है। लेकिन संसाधनों की बढ़ती कमी और पारिस्थितिक क्षरण ने इस धारणा को लगातार चुनौती दी है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था चार परस्पर जुड़े सिद्धांतों—कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्जनन—पर आधारित है। इनका उद्देश्य संसाधनों की खपत कम करना, उत्पादों की उपयोग अवधि बढ़ाना, अपशिष्ट को नए संसाधनों में बदलना और प्राकृतिक तंत्रों को पुनः सुदृढ़ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सिद्धांतों को रासायनिक सामग्री के उपयोग में कमी, फसल अवशेषों के पुनः उपयोग, जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट या बायोगैस बनाने और पुनर्जनन आधारित खेती के माध्यम से अपनाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर संसाधनों का चक्र विकसित करके ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट को कम करती है, स्थानीय स्तर पर आर्थिक मूल्य सृजित करती है, रोजगार को बढ़ावा देती है, आय के स्रोतों में विविधता लाती है तथा समुदायों की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अनुप्रयोग

चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक गतिविधियों में व्यावहारिक रूप से अपनाया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरण बताते हैं कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में संसाधनों के पुनः उपयोग और उनके बेहतर प्रबंधन की अवधारणा किस प्रकार व्यवहार में उतारी जा रही है।

• चक्रीय कृषि और पुनर्योजी कृषि

चक्रीय या पुनर्योजी कृषि में फसल चक्र, अंतरफसल खेती, कृषि वानिकी और कम जुताई जैसी पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। ये पद्धतियाँ मिट्टी की दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखने के साथ-साथ किसानों की कृषि लागत कम करने में भी सहायक होती हैं।

• कम्पोस्ट और जैव उर्वरक उत्पादन

पुआल, भूसी और सब्जियों के अपशिष्ट जैसे कृषि अवशेषों को पशुओं के गोबर के साथ मिलाकर कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट में बदला जा सकता है। इससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और मिट्टी की संरचना तथा उसमें सूक्ष्मजीवों की गतिविधि में सुधार आता है। सामुदायिक स्तर पर स्थापित कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं।

• कृषि अवशेषों से बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा

फसल अवशेषों और पशु अपशिष्ट के अवायवीय अपघटन से बायोगैस तैयार की जा सकती है, जिसका उपयोग खाना पकाने और बिजली उत्पादन में किया जाता है। इस प्रक्रिया से पोषक तत्वों से भरपूर स्लरी भी प्राप्त होती है, जिसे जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया से ऊर्जा और उर्वरक दोनों प्राप्त होते हैं। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था की उस मूल अवधारणा का स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें अपशिष्ट की समस्या को ऊर्जा और पोषक तत्वों के उपयोगी स्रोत में बदल दिया जाता है।

• जल का पुनर्चक्रण और कुशल सिंचाई

जल के बेहतर और चक्रीय उपयोग के लिए घरेलू उपयोग से निकले अपेक्षाकृत स्वच्छ पानी का पुनः उपयोग, जल संचयन तथा ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई जैसी पद्धतियाँ अपनाई जा सकती हैं। इनसे स्वच्छ जल की खपत कम होती है और मौसमी जल संकट से निपटने की क्षमता बढ़ती है। जलवायु में बढ़ते उतार-चढ़ाव के कारण अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की मौसमी कमी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

• ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था और मूल्य संवर्धन

कृषि उप-उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य वाले उत्पादों में

ग्रामीण संसाधन/अपशिष्ट	वर्तमान समस्या	चक्रीय उपयोग का विकल्प	संभावित भागीदार
धान/गेहूँ के फसल अवशेष	जलाना/लो-वैल्यू डिस्पोजल	बायो-CNG, पेलेट्स, कम्पोस्ट, मशरूम उत्पादन	किसान उत्पादक संगठन/उद्यमी
गोबर	निपटान/मीथेन उत्सर्जन	बायोगैस और बायो-स्लरी	स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति
सब्जियों का अपशिष्ट	सड़ना	कम्पोस्ट/बायोगैस	पंचायत
गन्ने की खोई	पर्याप्त उपयोग न होना	पैकेजिंग सामग्री/ऊर्जा उत्पादन	सहकारी समिति
अपशिष्ट जल	जल की कमी	शोधन के बाद सिंचाई में उपयोग	पंचायत/समुदाय



बदलकर उनका अधिक लाभकारी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, फलों के छिलकों से पेक्टिन, भूसी से पार्टिकल बोर्ड और गन्ने की खोई से पैकेजिंग सामग्री तैयार की जा सकती है। इससे जैव संसाधनों की आर्थिक उपयोगिता बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादन के अलावा आय के नए स्रोत भी विकसित होते हैं।

- **मरम्मत, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और स्थानीय उद्यमिता**
गाँवों में कृषि मशीनरी की मरम्मत सेवाएँ, पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग तथा प्लास्टिक और धातुओं के पुनर्चक्रण से जुड़े छोटे उद्यम स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। साथ ही, इससे उस अपशिष्ट की मात्रा भी कम होती है, जो अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में जमा होता रहता या दूर स्थित कचरा निपटान स्थलों तक ले जाना पड़ता है।

भारतीय नीतिगत व्यवस्था और ग्रामीण संसाधन प्रवाह

भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को कृषि, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न नीतियों और योजनाओं का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2022 में नीति आयोग में सर्कुलर इकोनॉमी सेल की स्थापना से इस दिशा में प्रयासों को और मजबूती मिली। यह सेल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और संसाधनों की पुनर्बहाली पर आधारित उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देता है। हालाँकि, प्रमुख चुनौती योजनाओं की उपलब्धता नहीं बल्कि उन्हें इस प्रकार आपस में जोड़ने की है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी व्यावहारिक चक्रीय प्रणालियाँ विकसित हो सकें, जो कृषि, पशुपालन, जैविक अपशिष्ट, जल, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण आजीविका को एक-दूसरे से जोड़ें।

- **गोबरधन और जैविक अपशिष्ट से उपयोगी संसाधन**
गोबरधन के माध्यम से पशुओं के गोबर और जैविक अपशिष्ट को बायोगैस, कम्पोस्ट बायोगैस (CBG) और जैविक खाद में बदला जा सकता है। इस प्रकार यह अपशिष्ट प्रबंधन को ऊर्जा उत्पादन और कृषि उत्पादकता से जोड़ता है।

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) अपशिष्ट की अलग-अलग छंटाई तथा ठोस और तरल अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इससे कम्पोस्ट निर्माण, बायोगैस उत्पादन और उपयोगी सामग्रियों को दोबारा उपयोग में लाने के अवसर पैदा होते हैं।

- **चक्रीय अवसंरचना के विकास में मनरेगा की भूमिका**
मनरेगा के माध्यम से कम्पोस्ट गड्डों, वर्षा जल संचयन सुविधाओं और अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों जैसी श्रम-प्रधान चक्रीय अवसंरचनाओं का विकास किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह**
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़े स्वयं सहायता समूह अपशिष्ट संग्रह, कम्पोस्ट निर्माण, बायोगैस, जैविक कृषि सामग्रियों के उत्पादन और पुनर्चक्रण से जुड़े विकेंद्रीकृत चक्रीय उद्यम चला सकते हैं।

• किसान उत्पादक संगठन

किसान उत्पादक संगठन (FPO) विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कृषि बायोमास और फसल अवशेषों को एकत्रित कर उनके प्रसंस्करण को सुगम बना सकते हैं। साथ ही, वे किसानों को जैव-ऊर्जा और जैविक कृषि आदानों से जुड़े बाजारों तक पहुँच दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

• फसल अवशेष प्रबंधन

फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से कृषि अपशिष्ट को प्रदूषण के स्रोत से एक उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। इसका उपयोग कम्पोस्ट, जैव-ऊर्जा, बायोचार तथा अन्य बायोमास-आधारित उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है।

• कृषि अवसंरचना कोष

कृषि अवसंरचना कोष के तहत बायोमास भंडारण, कम्पोस्ट इकाइयों और विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी साझा सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

• जल जीवन मिशन और जल का पुनर्चक्रण

जल जीवन मिशन अपशिष्ट जल और ग्रे-वॉटर के बेहतर प्रबंधन, शोधन एवं पुनः उपयोग के साथ-साथ भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देकर जल के पुनर्चक्रण को मजबूत आधार प्रदान कर सकता है।

आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ तथा संभावित चुनौतियाँ

ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय-तीनों स्तरों पर व्यापक लाभ दे सकती है। आर्थिक रूप से, कम्पोस्ट इकाइयों, बायोगैस संयंत्रों और छोटे प्रसंस्करण उद्यमों के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही, बाजार से खरीदे जाने वाले उर्वरकों और ऊर्जा के स्थान पर स्थानीय विकल्पों के उपयोग से उत्पादन लागत घटाई जा सकती है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सामाजिक दृष्टि से, गाँवों में कृषि से इतर आजीविका के अवसर बढ़ने से मजबूरी में होने वाले पलायन को कम किया जा सकता है। इससे सहकारी संस्थाएँ मजबूत होती हैं और ग्रामीण युवाओं तथा महिला समूहों को तकनीकी कौशल विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं। पर्यावरणीय स्तर पर, चक्रीय व्यवस्था खुले में अपशिष्ट जलाने की प्रवृत्ति और कचरा निपटान स्थलों पर बढ़ते दबाव को कम करती है। जैविक पद्धतियों से मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता में सुधार होता है, जबकि आयातित जीवाश्म



ईंधनों के स्थान पर बायोमास-आधारित ईंधनों का उपयोग स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है।

इन लाभों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। बेहतर मृदा स्वास्थ्य कृषि उत्पादकता बढ़ाता है, अधिक उत्पादकता किसानों की आय को मजबूत करती है और बेहतर आय ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले उस आर्थिक दबाव को कम करती है, जो अक्सर पलायन का कारण बनता है। यही परस्पर संबंध दर्शाता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी पहलों को अलग-अलग तकनीकी परियोजनाओं के रूप में लागू करने के बजाय आपस में जुड़ी और समन्वित व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना अधिक प्रभावी है।

अपार संभावनाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी पद्धतियों के व्यापक प्रसार में कई संरचनात्मक बाधाएँ हैं।

अवसंरचना की कमी: अनेक गाँवों में कम्पोस्ट या बायोगैस इकाइयों को बड़े स्तर पर संचालित करने के लिए आवश्यक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं और अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियों का अभाव है।

वित्त और तकनीक तक सीमित पहुँच: छोटे किसानों के लिए बायोगैस डाइजेस्टर, प्रसंस्करण उपकरण या सिंचाई प्रणालियों की शुरुआती लागत वहन करना अक्सर कठिन होता है, वहीं औपचारिक ऋण तक उनकी पहुँच भी हमेशा आसान नहीं होती।

जानकारी और तकनीकी कौशल की कमी: अनेक किसान और ग्रामीण उद्यमी अभी भी चक्रीय पद्धतियों से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हैं या संबंधित तकनीकों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक प्रशिक्षण से वंचित हैं।

बाजार से कमजोर जुड़ाव: जैविक कम्पोस्ट या जैव ईंधन जैसे चक्रीय उत्पादों का उत्पादन होने के बावजूद किसानों को अक्सर खरीदारों, प्रमाणन प्रणालियों और उचित मूल्य की व्यवस्था तक पर्याप्त पहुँच नहीं मिल पाती।

व्यावसायिक मॉडलों का विस्तार कठिन: छोटे स्तर पर सफल होने वाली प्रायोगिक परियोजनाओं का विस्तार सीमित प्रबंधकीय क्षमता, परिवहन एवं आपूर्ति संबंधी बाधाओं और कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता के कारण अक्सर कठिन हो जाता है।

ये बाधाएँ एक-दूसरे से जुड़कर समस्या को और गंभीर बनाती हैं। इसलिए इनके समाधान के लिए अलग-अलग प्रयासों के बजाय समन्वित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

नीतिगत सुझाव

ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

सरकारों को ग्रामीण विकास और कृषि नीतियों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को शामिल करना चाहिए, कम्पोस्ट और बायोगैस अवसंरचना के लिए पूँजीगत सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए तथा छोटे स्तर की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नियामकीय स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

स्थानीय संस्थाओं और पंचायतों को भूमि, जल और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी ऐसी व्यवस्थाओं को सुगम बनाना चाहिए, जो सामुदायिक स्तर पर चक्रीय सुविधाओं के संचालन में सहायक हों। साथ ही, पर्यावरणीय परिणामों की निगरानी में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए।

पुनर्योजी और चक्रीय पद्धतियों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले, किसानों और किसान उत्पादक संगठनों में इन पद्धतियों के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए कृषि प्रसार सेवाओं और खेतों पर व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए।

ग्रामीण उद्यमियों को लक्षित ऋण सुविधाएँ, व्यवसाय इन्क्यूबेशन सहयोग और बाजार से जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि चक्रीय उद्यम प्रायोगिक चरण से आगे बढ़ सकें।

सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को आदानों, उत्पादों और वित्त के एकीकरण के प्रमुख माध्यम के रूप में मजबूत किया जाना चाहिए ताकि छोटे किसानों की लेन-देन लागत कम की जा सके।

विकास एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को कौशल विकास, प्रमाणन सहयोग और प्रभाव की निगरानी में निवेश करना चाहिए। साथ ही, सफल और उभरती चक्रीय अर्थव्यवस्था पहलों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

चक्रीय अर्थव्यवस्था संसाधनों के कुशल उपयोग, अपशिष्ट में कमी और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली को बेहतर आजीविका से जोड़ते हुए सतत ग्रामीण विकास के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। पुनर्योजी कृषि, कम्पोस्टिंग, बायोगैस, जल पुनर्चक्रण और मूल्य संवर्धन जैसी पद्धतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार की संभावनाओं को दर्शाती हैं। हालाँकि, इन पद्धतियों को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए अवसंरचना, वित्त, जानकारी और संस्थागत व्यवस्था से जुड़ी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। इसके लिए समन्वित नीतियों, मजबूत सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण अवसंरचना और कौशल विकास में निवेश की आवश्यकता है। इन उपायों के साथ ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था समावेशी विकास को बढ़ावा देने, आय में वृद्धि करने, पर्यावरण को होने वाली क्षति कम करने और आर्थिक मजबूती से होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। □

